फर्द अहकाम

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी महोदय मुकाम बायतु

भंवरसिंह वगैरा बनाम प्रयागसिंह वगैरा

किस्म मुकदमा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 नं. 147/19 सन 2019

तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्यस जज	नं. व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए
21.05.19	प्रार्थीगण की ओर से वकील श्री घमण्डाराम सारण द्वारा यह आवेदन धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत पेश किया गया गया जिसे दर्ज रजिस्टर किया गया। वकील प्रार्थीगण को अन्तरिम आदेश हेतु उनकी एकपक्षीय बहस को सुना गया। पत्रावली के संलग्न राजस्व रेकर्ड व दस्तावेजों का गम्भीरता पूर्वक अध्यनन किया गया। प्रार्थीगण व विप्रार्थीगण की सामलाती अविभाजित खातेदारी भूमि ग्राम सिसोदिया पाना पटवार मण्डल गिड़ा तहसील गिड़ा में आई हुई है। राजस्व रेकर्ड के अनुसार प्रार्थीगण रेकर्डेड खातेदार है। प्रार्थीगण के अनुसार विप्रार्थीगण प्रार्थीगण के कब्जा काश्त से दखलअन्दाजी करने, कच्चा–पक्का निर्माण करने पर आमदा है और यदि ऐसा हो गया तो वाद बहुलता बढ़ेगी। प्रार्थीगण की एकपक्षीय बहस एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का गम्भीरता पूर्वक अध्ययन करने के पश्चात् सुविधा का सन्तुलन, अपूर्णीय क्षति एवं प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थीगण के पक्ष का बनना प्रतीत होता है। अतः विप्रार्थीगण को आगामी पेशी तारीख 19/06/19 तक जरिये अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है एवं अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा इस आशय की जारी की जाती है कि विवादित आराजी मौजा सिसोदिया पाना पटवार मण्डल गिड़ा तहसील गिड़ा के खेत खसरा नम्बर 16, 319/16 रकबा क्रमशः 39.05, 13.16 बीघा की भूमि में प्रार्थीगण के कब्जे काश्त में विप्रार्थीगण किसी प्रकार की दखलअन्दाजी, हस्तक्षेप, बाधा कारित नहीं करें। न ही किसी प्रकार का कच्चा–पक्का निर्माण कार्य करें। न ही प्रार्थीगण के हक हिस्से की भूमि का वैचान करें। तथा उभय पक्ष वर्तमान मौके व रैकर्ड की यथास्थिति बनाये रखें। इसी माफिक उभय पक्षकारान् पाबन्द रहे। विप्रार्थीगणों को स्थगन नोटिस जारी होकर मिसल वास्ते जवाब दिनांक 19/06/19 को पेश हों। सहायक कलक्टर (SDO) बायतु	

Signature Not Verified

Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2020.11.20 15:08:37 IST
Reason: SelfAttested

रा० आवे० सं- 147/19 भगवान-भवरसिंह

15/10/20

पत्रावली आज पेश हुई। प्रार्थी उपस्थित। प्रार्थी वकील द्वारा बताया कि प्रार्थी व विप्रार्थीगणों के मध्य उक्त स्थगन के सम्बन्ध में राजीनामा हो गया है। इस उक्त अस्थाई निषेधाज्ञा के प्रार्थना-पत्र को आगे नहीं चलाना चाहते हैं। प्रार्थी वकील द्वारा उक्त आवेदन को Not press किया गया। अतः प्रार्थी का स्थगन आवेदन इसी स्टेज पर ~~खारिज किया जाता है~~। जरिये Not press खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो, दाखिल दफ्तर हो।

(signature) 15.10.2020

सहायक कलक्टर
(SDO) बायतु

Signature Not Verified

Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2020.11.20 15:08:37 IST
Reason: SelfAttested